

29/4/21


वकील वादी व सफ्री वादीगण स्वयं न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुए व प्रा.पत्र प्रस्तुत कर अस्थायी निषेधाज्ञा प्रा. पत्र को विद्धी करने हेतु निवेदन किया। सफ्री वादीगण की उपस्थिति दर्ज करवाए हुए उनके हस्ताक्षर करवाये गये व वकील वादी ने सफ्री वादीगण की उपस्थिति को न्यायालय के समक्ष तस्दीक किया। अतः स्वैच्छा से प्रस्तुत इस प्रा.पत्र को न्यायालय द्वारा स्वीकार कर प्रा.पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को शरिज (विद्धी के आधार पर) कर तहसीलदार, कि रेनवाल की सूचना व आवश्यक कार्यवाही हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार ही दर्ज नंबर से कम कर दाखिल दफ्तर हो। फैसला शुने न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर  
साँभर लोक

दिलीप जाट




गमसरूप



निशमसिंग

ममता



Identified by me  
Luxury  
Adv.

